अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास एवं आरक्षणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (फिरोजाबाद जिले के ग्रामीण सन्दर्भ में)

दयालबाग़ शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा
की पीएच० डी० समाजशास्त्र की उपाधि हेतु
प्रस्तावित अनुसंधान की रूपरेखा
2019

शोध निर्देशक

प्रो० लजवन्त सिंह
विभाग–समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थिनी

रिंकी कुशवाह
(समाजशास्त्र)

प्रो० कमलजीत संधु

संकाय प्रमुख
समाज विज्ञान संकाय

प्रो० पूर्णिमा जैन

विभागाध्यक्ष
विभाग–समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग़ एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
दयालबाग़ आगरा–282005

प्रस्तावना–

भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है प्राचीन भारत का समाज वर्ण पर आधारित था। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'वृ' धातु से हुई है जिसका अर्थ है चुनना या वरण करना। वर्ण से तात्पर्य किसी वृत्ति या व्यवस्था के चुनने से माना गया है इसलिए समाजशास्त्री भाषा में वर्ण का अर्थ वर्ग से है। ऋग्वेद में समाज के दो मुख्य वर्गों का उल्लेख मिलता है आर्य वर्ण और अनार्य वर्ण। इन दोनों वर्णों में शारीरिक और सांस्कृतिक भेद थे। बाद में इनका सामाजिक विभाजन हो गया जिससे समाज में कार्य व्यवस्था के रूप में चार प्रमुख वर्गों की उत्पत्ति हुई। वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति तथा सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग रही है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों का कार्य पढ़ना–पढ़ाना, यज्ञ करना और पूजा करना–कराना माना गया था। क्षत्रियों के प्रधान कार्य शासक व प्रजा की रक्षा करना। उनका पालन करना और उसे सुख पहुँचाना था। वैश्य के प्रमुख कार्य व्यापार और वाणिज्य था। शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के क्रम में सबसे निम्न स्तर पर रखा गया था इसलिए शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। सम्पूर्ण भारतीय समाज को इन्हीं चार वर्णों में विभाजित किया गया था। शूद्रों को उपनयन, अध्ययन, यज्ञ तथा अन्य मांगलिक कार्यों से वंचित रखा जाता था। शूद्रों की तुलना पशुओं से की जाती थी। शूद्र का कार्य शारीरिक श्रम पर आधारित था। शूद्रों को उच्च शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं था। शूद्र भी दो प्रकार के थे 1. शूद्र 2. अतिशूद्र (अछूत)। जिसके लोटे से 'द्विज' पानी पी सकते थे वे शूद्र थे तथा जिसके लौटे से द्विज पानी नहीं पी सकते थे वे अछूत शूद्र कहलाये। **घुरियें के अनुसार**– प्राचीन समय में शूद्रों को बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता था। **वशिष्ट धर्म सूत्र के अनुसार** – पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही अंग है। वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त में 80 प्रतिशत बहुजन शूद्र वर्ण को अधिकार विहीन बनाकर हजारों वर्षों से उनका शोषण किया।

डा.अम्बेडकर का विचार है कि 'शूद्र सूर्यवंशी आर्य थे। वे क्षेत्रीय वर्ग का ही एक भाग थे। शूद्र राजाओं तथा ब्राह्मणों के बीच अनेक युद्ध हुए शूद्र राजाओं के अत्याचारों से दुःखी होकर ब्राह्मणों ने शूद्रो का उपनयन करना बन्द कर दिया। उपनयन से वंचित होने के कारण शूद्र सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर पर आ गये। **हू वर द शूद्राज (1946)**

मनुस्मृति में कहा गया है– शूद्रों के लिए ईश्वर ने एक ही कर्म दिया है कि वह तन मन व धन से तीनों वर्णों की सेवा करें।

उत्तर वैदिक काल (100ई पू–600ई.पू) से चार वर्णों के मध्य पृथकता की भावना उत्पन्न हुई इसी युग में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के आन्दोलन का विकास हुआ, जिसमें जन्म के स्थान पर कर्म को महत्व दिया गया। धर्मशास्त्र युग में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था का रूप स्पष्ट हो गया और सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को अनेक भागों में बांट दिया गया।

अन्य पिछड़ा वर्ग–

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा जो शेष जातियाँ है वह अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है। अन्य पिछड़े वर्ग की अभी तक कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में सबसे ज्यादा कृषक जातियाँ अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आती है जैसे– कुर्मी, लोहा, वोक्कालियां, रेड्डी और जाट इत्यादि। जाट जाति को सन् 2000 में पिछड़ी जाति घोषित किया गया है इससे पहले ये सामान्य जाति थी। भारत में पिछड़ी जातियों के पहचान के लिए समय–समय पर राज्यस्तरीय और राष्ट्रस्तरीय आयोग या सामितियॉ बनाई गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है।

आजादी से पहले **महात्मा ज्योतिबा फूले** द्वारा मूवमेन्ट इन द बोम्बो प्रेसीडेन्सी सन् 1870–1930 में चलाया गया। तथा इन्होने सन् 1873 में **'सत्यशोधक समाज'** की स्थापना की। उनके आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और महिलाओं तथा निम्न जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करना था, क्योकि इस तरह के आन्दोलन से ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति को हानि पहुँची जो हिन्दू वाद के विरूद्ध

थी। **मद्रास में ब्राह्मण विरोधी नाडार आन्दोलनों डा. रामास्वामी पेरियार द्वारा** सन् 1873 में चलाया गया। सन् 1928 में बम्बई प्रान्त के गवर्नर ने 'स्टार्ट' नाम से एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए नियुक्त की थी, इस समिति में **बाबा साहेब अम्बेडकर** ने शूद्र वर्ण से जुडी जातियों के लिए '**अन्य पिछड़ा वर्ग**' शब्द का प्रयोग किया। जिसकों सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियाँ माना जाता है। प्रादेशिक सरकारे पिछले कुछ सालों से लगातार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही थी। मद्रास सरकार ने सन् 1885 ने इसकी शुरूआत करते हुए एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें शैक्षिक सस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता दी थी। कई राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्ग की सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया। सन् 1990 वी.पी सिंह की सरकार ने इसके सुझावों को लागू किया। **डा. अम्बेडकर** अपने जीवन में पिछड़े तथा खासतौर से निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के बराबर देखना चाहते थे। जिसके लिए उन्हें जीवन पर्यन्त कार्य किया। **ज्योतिवाराब फूले** ने शूद्रों तथा अतिशूद्रों की दयनीय स्थिति के मूल में निहित कारणों को स्पष्ट करते हुए उनमें जागृति लाकर उन्हें सत्य का बोध कराया, और पढ़े लिखे युवकों को उनके सामाजिक कर्त्तव्यों के प्रति संचेत किया, इसी के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की परन्तु 'क्रीमी लेयर' में आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। 93 वाँ संविधान संशोधन अधिनियन 2005, 20 जनवरी 2006 को प्रभाव में आया, जिसमें अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।

डॉ. अम्बेडकर के विचार – पिछड़े वर्गों को न्याय तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उनकी समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान केन्द्रित नहीं किया जायेगा।

प.जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इण्डिया (1946) में कहा– न केवल सभी को समान अवसर दिये जाने चाहिए बल्कि पिछड़े समूहों को शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष अवसर प्रदान किये जाने चाहिए ताकि उन लोगों की बराबरी में आ सके जो उनसे आगे है।

डा. राममनोहर लोहिया के विचार –पिछड़ी जातियों को अगले कुछ दशकों तक विशेष अवसर दिया जाए, ताकि पिछले पाँच हजार वर्ष का अन्याय समाप्त हो सके।'

महात्मा ज्योतिवाराब फूले के विचार –अगर पिछड़ी जातियों की स्थिति में सुधार लाना है तो सबसे पहले इन पिछड़ी हुई जातियों का के शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना होगा।

प्रो. रजनी कोठारी के विचार– पदोन्नति ने आरक्षण एक या दो बार हो लागू होना चाहिए, अन्यथा इसी वर्ग से आने वाले लोगों को प्रोन्नति मिलना मुश्किल हो जायेगी, परन्तु यह सिद्धान्त पिछड़े वर्गों में ही अपनाया जाना चाहिए।

आरक्षण शब्द का सामान्य अर्थ है सुरक्षित करना। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों जैसे– शिक्षा,सुरक्षा, नौकरी एव पदोन्नति की अवसर व समानता प्रदान करता है। आरक्षण 'सकारत्मक कार्यवाई' व नकारात्मक दोनों रूप में दर्शाया जाता है। आरक्षण द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक समूहों को प्राथमिक रूप से आरक्षण की सुविधाएँ प्रदान की गयी है ताकि उन लोगों के सामाजिक स्तर को अन्य लोगों के समतुल्य लाया जा सके। पिछड़े वर्ग के लोगों को सफलता के उचित एवं बेहतर अवसर प्रदान करना। अमेरिका के नीग्रों (अश्वेतो) के सम्बन्धों पर डी.सी.मैगवायर का मत है– आरक्षण ही एक ऐसा साधन है जो विभेदीकरण के ज्वार की दिशा को भाटे में परिवर्तित कर देता है। सन् **1882– हंटर आयोग** की नियुक्ति हुई, **महात्मा ज्योतिबाराव फूले** ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण की मांग की थी। सन् 1891 आरम्भ में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी तथा विदेशियों की भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा सरकार नौकरी में आरक्षण की मांग की गयी।

आरक्षण का तात्पर्य है प्रतियोगिता के नियमों में कुछ शिथिलता रखते हुए अविकसित और विशेषाधिकारहीन समुदाय/वर्ग के लोगों को सफलता के उचित एवं बेहतर अवसर प्रदान करना। **गुप्ता (2000)**

भारत सरकार अधिनियम सन् 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद सन् 1918 में मद्रास प्रेसीडेंसी में कुछ विशेष जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। सन् 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने जातिगत आरक्षण में गैर ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत,

मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय–एग्लो–इसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। सन् 1922 में मैसूर जैसे बड़े राज्य में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया और बम्बई प्रेसीडेन्सी में भी यह व्यवस्था सन् 1931 में आ गयी। सन् 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना कम्यूनल अवार्ड घोषित किया। सन् 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव प्राप्त किया, जो पूना समझौता था सन् 1942 में **बी.आर.अम्बेडकर** ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए शिक्षा व सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में शिक्षा की मांग की गयी।

आरक्षण की आवश्यकता–

हिन्दु समाज में एक ऐसा वर्ग भी रहा है जो सदियों से असमानता व उत्पीड़न सहन करता आया है। यह वर्ग विदेशियों के अलावा स्वदेशियों का भी गुलाम था। यह राष्ट्र के सम्मुख एक मुख्य समस्या थी। परन्तु आवश्यक था देश की स्वतन्त्रता के साथ–साथ पिछड़े वर्गों को सामाजिक स्वतन्त्रता दी जाये। पिछड़े वर्गों का दमन मात्र एक राजनीतिक अथवा सामाजिक घटना नहीं है बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। भारतीय सविधान ने आरक्षण के द्वारा सरंचनात्मक विभेदीकरण समता के मूल सिद्धान्त का अनुसरण किया। अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने तथा दूसरों के समान लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता हुई। **डा़. राममनोहर लोहिया** ने सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों के मुद्दे 'आरक्षण' के माध्यम से एक नए आन्दोलन की शुरूआत की। इसके माध्यम से पिछड़ी की उपेक्षा खत्म करने का यह संगठित प्रयास था।

वर्तमान में इस स्थिति को गम्भीर रूप में लिया जाता है तथा उन समुदायों को उभरने के लिए कुछ विशेष अवसर दिये जा रहे है इतिहास में इन लोगों को कुछ ज्यादा वंचित रखा गया था। शूद्रों की स्थिति दयनीय होने के कारण एवं विकास की सामान्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की आवश्यकता हुई तथा इसमें सामान्य वर्ग को 51.5 प्रतिशत आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक ठहराते हुए व्यवस्था दी कि आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आरक्षण का इतिहास–

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व **महात्मा ज्योतिबा फूले** द्वारा **मूवमेन्ट इन द बोम्बे प्रेसीडेन्सी** सन् 1870–1930 में चलाया गया तथा इन्होने 1873 में '**सत्यशोधक समाज**' की स्थापना की। सन् 1882 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हंटर कमीशन का गठन हुआ। महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने पिछड़े वर्ग के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा व नौकरियों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की। सन् 1902 में कोल्हापुर रियासत के छत्रपति शाहूजी महाराज ने वंचित तबके के लिए आरक्षण व्यवस्था शुरू की। सभी को मुक्त शिक्षा दिलाने के साथ छात्रों की सुविधा के लिए हॉस्टल खोले। उन्होंने ऐसे प्रावधान किये ताकि समान अवसर मिल सके। देश में वर्ण विहीन समाज की वकालत करते हुए अस्पृश्यता को खत्म करने की मांग की। कोल्हापुर रियासत की अधिसूचना में पिछड़े/वंचित समुदाय के लिए नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्याख्या की तथा देश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने सम्बन्धी अधिकारिक रूप में वह पहला राजकीय आदेश माना जाता है। सन् 1908 में अंग्रेजो ने भी प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शुरूआत में राजनैतिक क्षेत्र में 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया। इसके बाद से उसकी समय–सीमा को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। 12 अगस्त सन् 2005 उच्चतम न्यायालय में पी.एच. इनामदार और अन्य बनाम, महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 12 अगस्त सन् 2005 को 7 जजों द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि राज्य पेशेवर कॉलेजों समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर–अल्पसंख्यक पर नहीं थोप सकता है। सन् 2005 निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93 वाँ संविधान संशोधन लाया गया। इसमें अगस्त 2005 के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया। सन् 2006 से केन्द्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया। सन् 2007 में केन्द्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने मन्जूरी दे दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 10 अप्रैल सन् 2008 को सरकारी धन से बढ़े संस्थानों में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग कोटा शुरू करने के

लिए सरकारी कदम को सही बतलाया और इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि 'मलाईदार परत' को आरक्षण नीति से बहार रखा जाना चाहिए।

काका कालेलकर आयोग

काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी **सन् 1953** को इस आयोग की नियुक्ति हुई थी। जिसने 31 मार्च सन् 1955 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस आयोग को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों का पता लगाना था जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े है ताकि उनको पिछड़ा वर्ग माना जा सके और वर्गों की एक सूची तैयार की जा सके। आयोग को यह भी निर्देशन दिया गया कि जो लोग पिछड़े है उनकी कठिनाइयों के बारे में खोजबीन करना। आयोग ने पिछड़ेपन के सिद्धान्त के अनुसार कुल 2399 जातियाँ को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश की और सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कई उपाय बातये गये। आयोग द्वारा भारत की जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को पिछड़ा बताया गया।

पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए आयोग ने अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की जिनमें से मुख्य थी–

1. सन् 1961 की जनगणना जाति के आधार पर करना।
2. शैक्षिक प्रगति का अभाव।
3. सभी स्त्रियों को 'पिछड़ा वर्ग' मानना।
4. व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अर्याप्त प्रतिनिधित्व।

आयोग में 70 प्रतिशत आरक्षण मेडिकल, वैज्ञाानिक तथा तकनीकी शिक्षा में किया जाये। आयोग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की गयी। आयोग ने जाति में पिछड़े लोगों का पता लगाने के बजाय जाति को ही पिछड़ा मान लिया। सरकार ने आर्थिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण लिए की गयी सिफारिश को ठुकरा दिया। 1961 में केन्द्र सरकार ने यह निर्णय

लिया कि वह अन्य पिछड़े वर्गों की कोई सूची तैयार नहीं करेगी। राज्यों को सलाह दी गई कि वे आर्थिक कारक पर अपनी सूचियाँ तैयार करे। अनेक राज्यों ने व्यवसाय और आय की कसौटियाँ का उपयोग करके पिछड़े समूहों का वर्गीकरण किया। दस राज्यों ने पंद्रह 'पिछड़े वर्ग आयोग' नियुक्त किए जिससे आयोग को मूल्यवान सामग्री प्राप्त हुई।

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग)

20 दिसम्बर सन् 1979 को श्री वी.पी. मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। मण्डल आयोग के तहत गैर हिन्दू जातियों सहित पिछड़े वर्ग में भारत की कुल जनसंख्या 42 प्रतिशत है इसकी विषय वस्तु पूर्व आयोग वाली थी। परन्तु आयोग से अपेक्षा की गई कि वह पूर्व गठित आयोग की सिफारिशों की जांच कर सकता है और उन कारणों का पता लगा सकता है जो सरकार द्वारा सिफारिशों की स्वीकृति में बाधा बनी थी। आयोग में तीन सूचकों का प्रयोग किया गया सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। सन् 1990 में **विश्वनाथ प्रताप सिंह** द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया। मण्डल आयोग की सिफारिशे लागू करने के कारण भारत में हलचल हुई तथा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई जिसने 14 नवम्बर सन् 1992 के अपने निर्णय में नौकरियों में आरक्षण की नीति का समर्थन किया। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए निम्न आरक्षण की सिफारिशे की।

1. पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं एवं अन्य संस्थानों में 27 प्रतिशत का आरक्षण होगा।
2. उपर्युक्त आरक्षण सभी स्तर पर अर्थात् पदोन्नति पर लागू होगा।
3. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक श्रेणी की सेवाओं में उपर्यक्त वर्गों की भांति रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
4. आरक्षित कोटा यदि नहीं भर जाता तो तीन वर्ष की अवधि के लिए इसे आगे बढ़ा देना चाहिए।
5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह पिछड़े वर्गों को भी आयु की छूट दी जानी चाहिए।

आयोग ने सिफारिश की कि समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर पिछड़ी जातियों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। ओबीसी की 52 प्रतिशत आबादी का मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ा घोषित किया। सन् 1930 की जनगणना के आंकडों का प्रयोग करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1237 समुदायों का वर्गीकरण किया जो सन् 2006 के अनुसार पिछड़ी जातियों की संख्या 2297 पहुँच गयी जो मण्डल आयोग द्वारा तैयार समुदाय की सूची में 60 प्रतिशत वृद्धि है।

विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आयोगः— पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आयोग निम्नलिखित है—

- मनोहर प्रसाद पिछड़ा वर्ग आयोग — आन्ध्र प्रदेश (1968)
- मुंगेरी लाल आयोग — बिहार (1971—76)
- ए.एन सत्तनाधन आयोग — तमिलनाडु (1968—70)
- ए.आर. बक्शी आयोग — गुजरात (1971—76)
- गुरूनाम सिंह आयोग — हरियाणा (1990)
- टी. वेकट स्वामी आयोग— कर्नाटक (1983—86)
- जस्टिस गजेन्द्र गदकर आयोग — जम्मू कश्मीर (1967—68)
- छेदी लाल साथी आयोग — उत्तर प्रदेश (1975—77)
- पी.के विश्वनाथ आयोग — केरल (1961—63)
- ब्रिशवान समिति — पंजाब (1961—64)
- ओ.एच.वी स्टार्ट समिति — महाराष्ट्र (1928—30)
- सामाजिक न्याय समिति — उत्तर प्रदेश (2001)

सविंधान में पिछड़े वर्गों के लिए किए गए प्रावधान

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के विषय की जाँच करता है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16, 340 जिनमें पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की भावना के लिए निहित किये गये है जो इस प्रकार है–

अनुच्छेद 16(4)– इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। नियुक्ती या पदों के आरक्षण के लिए अपबन्ध करने के निवारित नहीं करेगी। यह अनुच्छेद 10(3) का सार है।

अनुच्छेद 46 – इस अनुच्छेद में जिन कमजोर वर्गों की बात की गई है उसमें निश्चत ही सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की शामिल किया गया है जिनका सम्बन्ध अनुच्छेद 340 से होता है।

अनुच्छेद 15(4)– इस अनुच्छेद की या 29 के खण्ड (2) को कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध के लिए निवारित नहीं करेगी।

आवधारणात्मक स्पष्टीकरण

जाति व्यवस्था जन्मजात होती है और जाति व्यवस्था संस्तरण पर आधारित होती है, प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है जाति व्यवस्था में ऊंच–नीच का क्रम पाया जाता है।

आरक्षण का अर्थ है सुरक्षित करना। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय तथा पदोन्नति की सुविधाएँ दी जाती है सभी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा कुछ शेष जातियाँ ऐसी है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है ये वर्ग सामाजिक व शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के नाम से जाने जाते है शोध में अन्य पिछड़ा वर्ग को केन्द्र माना गया है।

समस्या कथन –

भारत में आरक्षण के इतने वर्षों बाद भी अन्य पिछड़े वर्गों स्थिति में उतना सुधार नहीं आया जितना आना चाहिए। आरक्षण का लाभ वही ले पा रहे है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जागरूक है तथा गैर–जागरूक व्यक्ति लाभ से अभी तक वंचित है इसके अतिरिक्त शोध छात्राओं को आरक्षण का लाभ करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरक्षण द्वारा पड़ने वाले शिक्षा और पिछड़ेपन के कारणों का भी अध्ययन किया जायेगा। जिससे संवैधानिक अधिकार व लाभ के प्रति जागरूक बनाया जा सके ताकि अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति में और सुधार आ सके। समाज में उच्च जातियों के समान इनका भी सम्मान व आदर प्राप्त हो। अन्य पिछड़े वर्ग का विकास आरक्षण नीति द्वारा कितना विकास हुआ है तथा कितने लोग इसका लाभ ले पा रहे है। अन्य पिछड़े वर्ग आज भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण नीति के योगदान का अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन का महत्व –

शोधार्थिनी द्वारा अपने अध्ययन हेतु इस समस्या पर ध्यान देते हुए इसके महत्व को स्पष्ट किया है आरक्षण नीति से प्राप्त लाभों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र में गतिशीलता आयी है अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी भी अब उच्च शिक्षा के प्रति रूचि ले रहे है तथा शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो रही है। इसका लाभ वहीं ले पा रहे है जो शैक्षिक व जागरूक है। प्रस्तुत अध्ययन में अन्य पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण नीति के योगदान को स्पष्ट किया जायेगा। आरक्षण द्वारा शिक्षा व रोजगार तथा समानता में होने वाली वृद्धि का अध्ययन किया जायेगा ताकि होने वाली वृद्धि से पिछड़े वर्ग को और अधिक अधिकार व लाभ के प्रति जागरूक बनाया जा सके और अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार आ सके। समाज में उच्च जातियों के समान इनको भी सम्मान व आदर प्राप्त हो। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी ने इस विषय की महत्वता को बताया है। तथा यह अध्ययन भविष्य के अध्ययनों के लिए छात्रों के लिए साहित्य भी प्रदान करेगा।

साहित्य का पुर्नवालोकन –

- **सिंह, श्यामा नन्द, ''रिजर्वेशन पॉलिसी फार वैकवर्ड क्लासेज'' (1996):** प्रस्तुत पुस्तक में जाति के आधार पर व्यवसायों द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया गया है। आरक्षित पैनल की समस्याओं को खत्म करने के लिए वे कहते है कि विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों से सही समुदाय को रियायत देने के लिए कर्नाटक में पिछड़े एवं अधिक पिछड़े बीच विख्यात किया है जबकि बिहार एवं केरल पिछड़े और सबसे पिछड़े है। लेखक कहते है कि इस तरह के अन्तर को सरकार द्वारा, सरकार, लेकिन राज्यों में नहीं बनाया जाता है। उनकी पुस्तक में उन्होंने अपने प्रचार में आरक्षण भी लागू किया है।
- **प्रसाद, अनिरूद्ध, ''रिजर्वेशनल जस्टिस टू ओ.बी.सी' (1997)** : प्रस्तुत पुस्तक में मंडल रिपोर्ट का विस्तृत वर्णन किया गया है। जिसमें दो राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्ग कमीशन, सरकार की कमैटी की आलोचना की गई है तथा अन्य लोगों को यह बताया गया है कि वह अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित न्याय का बीमा करें। विशेष रूप में पिछड़े वर्गों के लिए न्याय के सम्बन्ध में मंडल के मामलों के फैसलें से सम्बन्धित केन्द्रिय मुद्दों पर तह में जाकर काम किया गया है आरक्षण की मुख्य योग्यता यह नहीं है यह समतावाद का परिचय देता है।
- **नेगी, प्रशान्त, ''रिजर्वेशन एण्ड प्राइवेट सेक्टर'' (2004)** इस पुस्तक में प्रमुख शिक्षाविदों, मिडिया के विचारों और राजनीतिज्ञों से विचारों का आदान प्रदान करते हुए पुस्तक में निजी क्षेत्र में आरक्षण के महत्वपूर्ण और विवाद करने योग्य विषयों पर भारतीय समाज की तत्कालीन सोच को प्रतिबिम्बित करते है। यह शिक्षा, सरकार गैर सरकारी संगठनों और अनुसंधानकर्ताओं एवं विद्यार्थियों तथा उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है। जाति व्यवस्थित रूप से अलग–अलग वर्गों के विवादों के बारे में चिंतित है और अस्पृश्य समाज से सम्बन्धित बहुलता पूर्वक उपेक्षा के बारे में बताती है एक जगह पर आरक्षण के बारे में मौजूदा बहस में प्रस्तुत किये गये कुछ गम्भीर मुद्दो को संबोधित किया गया है।

- **सिंह, एच.के. एवं सिंह, ए.के , ''ओबीसी वूमैन'' (2004)** इस पुस्तक में बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग अभी भी अनिश्चित और कम सामाजिक, आर्थिक स्थिति के कलंक से ग्रस्त है। समाज की सामाजिक–आर्थिक स्थिति से जो समाज के कमजोर वर्ग भूख, रोगों, बेरोजगारी, शोषण आदि से पिछड़े हुये वर्गों तथा स्त्रियों, बच्चों पिछड़े वर्ग के अल्पसख्यकों आदि से वंचित है। इस पुस्तक में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दर्जा दिया गया है। इस पर उनके शैक्षिक सशक्तीकरण या दायरा सभी सामाजिक, आर्थिक विकास से भी अधिक है। भारत में और विशेष रूप से उत्तरप्रदेश में स्थिति पर विशेष बल दिया गया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की महत्वपूर्ण समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है।
- **वर्मा, एच.एस., ''द ओबीसीज एण्ड द रूलिंग क्लासेज इन इण्डिया'' (2004):,** इस पुस्तक में लेखक ने अन्य पिछड़े वर्ग को भारतीय समाज का सबसे बड़ा हिस्सा तथा उपेक्षित सामाजिक–संवैधानिक श्रेणी बताया है। यह पहली पुस्तक है जो सत्तारूढ़ गठबंधन के विभिन्न भाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग समस्या से ग्रस्त, वर्तमान स्थिति और उपचार के बारे में महत्वपूर्ण सवालों के अनुभवात्मक उत्तर देने का प्रयास करती है। इसे चार भागों में बांटा गया है और अन्य पिछड़े वर्ग की रचना, विशेषताऐं एवं अन्य पिछड़े वर्ग का परिचय किया है तथा समय निर्धारित की कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले राजनीतिक–प्रशासनिक अंशो की भूमिका का अध्ययन किया है। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग और जाति आधारित असमानताओं पर अध्ययन के एक पूरे नए सेट को लागू करने की सम्भावना है। यह सामाजिक वैज्ञानिक, नीति नियोजकों,, राजनीतिक दलो और स्वयं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आवश्यक पुस्तक है।
- **गोंगी, तरोइलुक्या ''रिजर्वेशन पॉलिशी एण्ड ओबोसी मूवमेन्ट इन आसाम'' (2005):** प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, वाणिज्य और राजनीतिक संस्थानों के क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप में वंचित और पिछड़ी जातियों और वर्गों की कमियों को बताया गया है और साथ ही ऐसे लोगों के विभिन्न श्रणियों की पहचान करने के लिए आयोगों को नियुक्त करने के लिए सरकार की परिणामी नीतियाँ बतायी गयी है तथा इन वर्गों की सिफारिशें और नीतियां इन क्षेत्रों ने आरक्षण के लिए सरकार द्वारा अपनायी गई आबादी के अनुपात में उनके सांकेतिक शेयरो के

अनुपात में है। यह पुंस्तक अन्य पिछड़े वर्गो के संगठनों के निर्माण के साथ विशिष्ट रूप से सम्बन्धित है और इस क्षेत्र में स्वतन्त्रता के बाद से उनके हित के लिए संधर्ष में व्यक्तियों की राजनीतिक गतिशीलता के बारे में बताया गया है।

- **शर्मा, के.एल, ''इण्डिया सोशल स्ट्रक्यर एण्ड चेन्ज'' (2007)** प्रस्तुत पुस्तक में अन्य पिछडे वर्ग के नाम का एक अध्याय सम्मिलित किया है जिसमें उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में बताया है और उसका उद्‌भव के बारे में भी बताया है उन्होंने अपने इस अध्याय में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग शब्द ही प्रयोग किया है उन्होने बताया कि जाति संस्करण में जाति रैंक, और व्यवसाय के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति से उच्च थे। पुस्तक में आन्द्रे बैत्ये ने कृषक जाति को पिछड़े वर्ग का केन्द्र माना है। के.एल. शर्मा ने संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न अनुच्छेदों का भी वर्णन किया है और अन्य पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए चलाये गये आन्दोलन का भी वर्णन किया है। अन्त में निष्कर्ष के रूप में बताया है कि विभिन्न प्रकार के अन्य पिछड़े वर्ग आन्दोलनों के द्वारा ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक स्तर में पिछड़े है और बहुत से अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण नीति का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
- **चालम, के.एस. ''कास्ट वेस्ड रिजर्वेशन्स एण्ड हुमन डवलपमैन्ट इन इण्डिया''(2007)**: प्रस्तुत पुस्तक में जाति पर आधारित आरक्षण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के साथ–साथ प्रमुख मानव विकास सूचकांकों को भी बताया गया है। इस पुस्तक में बताया है कि जाति आधारित आरक्षण भारत में अधिक समय से मौजूद है। जाति के लिए जिम्मेदार आर्थिक असमानताओं की समस्या को दूर करने के लिए विकास प्रक्रिया के विस्तार के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया था आज भी आरक्षण को सही ठहराने के लिए सकारात्मक कार्यवाई और कोटा जैसी अवधाराणाओं पर बहस की जा रही है। यह पुस्तक मानव विकास में जाति आधारित आरक्षण के प्रभाव का एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है, लेखक ने समय श्रंखला के आकड़ों को ध्यान में रखते हुए जाति आधारित आरक्षण के लोकतांत्रिक सिद्धान्त को लागू करने की एक वैकल्पिक रणनीति पर भी चर्चा की गई है।

- **अम्बेडकर एस.एन, ''रिजर्वेशन पालिसी'' (2008):** प्रस्तुत पुस्तक ने अम्बेडकर ने अन्य पिछड़े वर्गों के नाम का एक अध्याय सम्मिलित किया है अन्य पिछड़े वर्गों को इन्होंने शूद्र बताया है और इनसें सम्बन्धित अनुच्छेद व आयोग का वर्णन किया है। राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा के बारे में बताया गया है। इन्होने अपने अध्ययन में पिछड़ेपन की कार्यप्रणाली के सर्वेक्षण में 3000 से अधिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की गई। 80 के दशक से अधिक देश के प्रत्येक जिले से एक नमूना सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। नमूना सर्वेक्षण में सभी घरों के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में डेटा एकत्रित किया गया। 22 अकों के मूल के साथ पिछड़ेपन के ग्यारह मानदण्ड संकेतकों की तीन श्रेणियाँ सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक में बाटाँ गया। इन्होंने पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अनुच्छेद तथा कुछ समितियों को भी बताया इन्होंने इस अध्याय में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित दोनो आयोग की चर्चा की है।
- **मलिक, सुरेन्द्र एवं मलिक सुदीप "सुप्रीम कोर्ट ऑन ओबीसी रिजर्वेशन'' (2008)** प्रस्तुत पुस्तक में अन्य पिछड़े वर्ग में 27 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायलयशिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग संविधान संशोधन, संविधान (93 वा संशोधन) अधिनियम 2005 और केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 आदि के बारे में बताया है तथा मनमोहन की सरकार का निर्णय केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 27 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने के लिए किया गया है जिनमें पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अधिनियम के बारे में बताया गया है।
- **राना, मुलचन्द्र सवाजी भाई, '' रिजर्वेशन्स इण्डिया'' (2008):** इस पुस्तक में लेखक ने स्टिग्मा ऑफ कास्टिज्म, अस्पृश्यता सहित कई मुद्दों पर बात की है। लेखक ने 1928 में साइमन कमीशन के सामने अपनी उपस्थिति से आरक्षण के इतिहास में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका को रेखाकिंत किया है तथा महात्मा के दोहरे मानकों को उजागर किया है। पृष्ठ 301 पर लेखक **डॉ. अम्बेडकर** द्वारा साम्प्रदायिक पुरस्कार के लिए दबे–कुचले वर्गों के लिए अलग–अलग मददाताओं के लिए सहीं रूप में पद ग्रहण करने में सफल रहे है। इस पुस्तक में अन्य पिछड़े

वर्ग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा नीतियों के सुझावों को बताया गया है। जिसमें मलेशियाई के अनुसार संसाधनों का पुनर्वितरण शामिल है।

- **साधे ,निरन्जन रिजर्वेशन पॉलिसी एण्ड इट्स इम्पलीमेन्टेशन एक्रोस डोमैन्स इन इण्डिया''(2009)** : प्रस्तुत पुस्तक में उच्च शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच सम्बन्ध से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुददों की बताने के अलावा आरक्षण नीति के प्रमुख डोमेन पर डेटा संकलित करके शून्य को भरने का प्रयास किया है और बताया है कि देश में अभी भी विभिन्न डोमेन में इसके प्रवर्तन की डेटा आधारित समझ का अभाव है और इन सामाजिक समूहों के बीच कैसे और कितने प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ मिला है साथ ही बताया है कि भारत में सकारात्मक नीतियों के मुद्दे पर बहुत कम विश्वसनीय शोध अध्ययन है। आरक्षण नीतियों के कार्यन्वयन के सन्दर्भ में विभिन्न समय अवधि और विभिन्न क्षेत्रों में सभी को डोमेन तुलना के बारे में बताया है तथा प्रक्रियाओं पर कुछ महत्वपूर्ण विचार किया है और पुस्तक आगे के शोध के लिए क्षेत्रों की पहचान कराती है।
- **कुमार विजय, ''स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन इण्डिया'' (2011)** पुस्तक में लेखक ने भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति व भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के महत्वपूर्ण पहुलओं पर विषयों को बताने वाली पुस्तक है। वर्तमान में यह पुस्तक एक शैक्षिक व्यवसायों के शोध के अनुभव का परिणाम है विषय वस्तु को एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ताकि पाठकों को सही दिशा में ओबीसी के बारे में अवधारणा को आसानी से समझ सके।
- **जंगीर, सुनील कुमार, ''रिजर्वेशन पॉलिशी एण्ड इन्डियन कोन्सटीट्यूशन इन इण्डिया''(2013) :** प्रस्तुत पेपर में वंचित समुदाय की आर्थिक और अविवेकपूर्ण स्थिति के लिए अवसरों को बढ़ावा देना और इन लोगों को न्यायसंगत जगह बनाने के लिए प्रयास किया गया है। इन्होंने अपने शोध पत्र में ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति प्रयोग की है तथा तथ्यों का संकलन प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा किया गया है इस शोध अध्ययन में भारत में आरक्षण प्रक्रिया के विकास में कालानुक्रमिक व संवैंधानिक वैध लक्षणों, आरक्षण के उद्देश्य तथा

किस जाति को मिले, आरक्षण के बारे बताया है और 16(41) तथा 16(4 ब) और भी कई अनुच्छेदों के बारे में बात की गई है तथा इसमें आरक्षण की कुछ कमियों को भी दर्शाया है।

- **निम्बर्टे, जी.एन., ''द सोशल स्कीमस एण्ड बैकवर्ड कम्युनीटीस इन महाराष्ट्रा'' (2015):** प्रस्तुत पेपर में महाराष्ट्र के औद्योगिकीकरण और अन्य विकास सम्बन्धी बातों को पिछड़े समुदाय के सन्दर्भ में बताया है। इन्होंने भारतीय समाज को महत्वपूर्ण तथा समाज में कुछ पिछड़े वर्ग भी बताये है। इसमें इन्होंने भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान बताया है। महाराष्ट्र के कुछ समाज सुधारक बताये है जैसे संत तुकाराम, नामदे इत्यादि। पिछड़े वर्गों या अनुसूचित लोकतन्त्र के मुख्यः, स्वतन्त्रता, विरादरी न्याय और समानता के बारे में बताया है इन्होंने महाराष्ट्र के पिछड़े समुदायों की मुख्य समस्या गरीबी और अन्य समस्याओं को बताया है इसलिए महाराष्ट्र में पिछड़े समुदायों में उच्च अपराध दर बतायी है पिछड़े समुदायों की विभिन्न समस्याओं के कुछ सुझाव भी बताये है।
- **देवनाथ, पुलकचन्द्र एवं विश्वास, एन.बी, ''अदर बैकवर्ड क्लासेज इन इण्डियां'' (2015):** प्रस्तुत पुस्तक में प्राथमिक और माध्यमिक स्त्रोतों के माध्यम से भारत में पिछड़े समुदायों और अन्य पिछड़े वर्गों का गहन अध्ययन किया गया है। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की उत्पत्ति तथा भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को देखने का प्रयास किया गया है तथा पिछड़े समुदायों से सम्बन्धित सरकारी नीतियों का विश्लेषण किया गया है। महत्वपूर्ण पहलु भारत और असम में पिछड़े समुदायों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।
- **खान, शिमरान ''भारत मे दलित आन्दोलन'' (2015)** इस पुस्तक में आरक्षण से सम्बधित एक अध्याय सम्मिलित किया है जिसमें सबसे पहले वर्णाश्रम व जाति व्यवस्था के बारे में फिर आरक्षण का उद्भव व विकास के बारे में बताया गया है। इन्होंने पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियम तथा आरक्षण, जातिगत आधारित, धर्म आधारित, शिक्षा आधारित, लिंग आधारित आदि के आधार पर बताया है। इन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए श्रीनिवास, फूले, छत्रपति साहूजी महाराजा के द्वारा आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन्होंने सुविधाओं की आवश्यकता व पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संवैधानिक सुरक्षाओं को भी

प्रस्तुत किया है। शिमरान खान ने अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित काका कालेककर व मण्डल आयोग की भी चर्चा की है।

- **पाल, सुशान्त एवं बरमन समपा. ''रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर बैकवर्ड क्लासज इन एजूकेशन इन द कान्टेक्स ऑफ मार्डन इण्डियन हिस्टरी''(2015):** प्रस्तुत पेपर में बताया है कि सन् 1991 वर्ष की जनगणना के अनुसार लगभग 180,000,000 लोग पिछड़े वर्ग के है। इन पिछड़े वर्गों की कई समस्याऐं है लेखक ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग ने शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्याऐं अधिक पायी जाती है सबसे ज्यादा पिछड़े भारतीय है। अपने अध्ययन में इन्होंने पाँच उद्देश्य की चर्चा की है। पहले उद्देश्य में पिछड़े वर्ग के अर्थ में बताया कि इन लेागों को सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है द्वितीय उद्देश्य में पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की गयी है। तृतीय उद्देश्य में वर्तमान में भारत के पिछड़े वर्ग के शैक्षिक स्तर 2001 में महिला 59.7 प्रतिशत तथा पुरूष 67.6 प्रतिशत बताये और 2011 में महिला 64.64 प्रतिशत तथा पुरूष 80.89 प्रतिशत दिखाया है इससे ज्ञात होता है कि शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो रही है। चतुर्थ उद्देश्य में लेखक ने पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कुछ शैक्षिक समस्याऐं बतायी है जैसे– ये लोग शिक्षा के लिए पैसा नहीं जुटा सकते है। पांचवे उद्देश्य में इन्होंने पिछड़े वर्गो की समस्याओं के सुझाव बताये है। और बताया कि पिछड़े वर्गो की समस्याऐं समाज में ही उत्पन्न होती है समाज ही जिम्मेदार होता है और पिछड़े वर्गो के विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रम की चर्चा की है। निष्कर्ष रूप में बताया कि ये व्यक्तियों आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े है। इन के व्यक्तियों लिए रिजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है।

- **सिंह, आलोक कुमार, ''समीक्षा की आवश्यकता'' (2017) :** प्रस्तुत पेपर में सन् 1951 ई में भारतीय सरकार द्वारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पारित किया तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह प्रावधान 340 अनुच्छेद में किया तथा लेखक ने सभी क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण की बात की है, क्रीमीलेयर को आरक्षण अलग रखा गया है तथा अन्य पिछड़ी जातियों को चारों ओर सुविधाऐं प्रदान कर उन्हे समाज की उच्च जातियों के समकक्ष लाया जाये तथा आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य है समाज के पिछड़े को व्यक्तियों उच्च

व्यक्तियों के बराबर लाना। आज भारत का पिछड़ा वर्ग सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाला सुविधाहीन वर्ग अन्यायपूर्ण जीवन जीने के विवश है यह बताया गया है।

- **खान, नजीबुल हुसैन. ''अपलिफ्टमैन्ट ऑफ ओबीसी ''** प्रस्तुत पुस्तक मे लेखक ने आरक्षण नीति के लाभाषियों को वास्तव में किसी हद तक लाभ दिया गया है। अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव को भी बताया गया है। आरक्षण के राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रभावों की जाँच करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है लेखक ने इस पुस्तक में यह भी बताते है कि इन व्यक्तियों ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों का कितना लाभ प्राप्त किया है। तथा पारम्पारिक जाति व्यवस्था के परिवर्तन अस्पृश्यता पर भी अपने विचार प्रस्तुत किये है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में अधिकारों के प्रति उत्पन्न चेतना का अध्ययन करना।
3. अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में आरक्षण द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आये परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. अन्य पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण की भूमिका का अध्ययन करना।
5. अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

1. अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सामाजिक संस्तरण के कारण निम्न स्तर की पायी जाती है।
2. अन्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा व ज्ञान के अभाव की कमी के कारण मानव अधिकारों के प्रति उत्पन्न चेतना का अभाव पाया जाता है।

3. अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण के प्रति जागरूकता के अभाव द्वारा शिक्षा का निम्न स्तर पाया जाता है।

4. वर्ण व्यवस्था द्वारा पिछड़ों की शिक्षा पर प्रतिबन्धों के कारण समुचित विकास का अभाव पाया जाता है।

5. सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण व उत्थान हेतु उचित व विशेष नीतियों व कार्यक्रमों का अभाव का पाया जाना है।

पद्धतिशास्त्र

पद्धतिशास्त्र का अर्थ उन सभी तरीकों और तकनीकों के रूप में समझा जा सकता है। जिनका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए फिरोजाबाद जनपद के अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का नारखी, फिरोजाबाद, टुंडला, ऐका, हाथवंत, जसराना, शिकोहाबाद, अराव, मदनपुर इत्यादि बाहुल्य ब्लॉक में से छः ब्लॉक का अध्ययन किया जायेगा।

कमांक	ब्लॉक	कुल जनसंख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रतिशत
1.	नारखी	196200	74042	37.73
2.	फिरोजाबाद	223071	94234	42.24
3.	टुंडला	228314	91039	39.87
4.	जसराना	129068	61020	47.27
5.	शिकोहाबाद	188800	81530	43.18
6.	हाथवंत	160064	63206	39.48
7.	अराव	145371	62045	42.68
8.	मदनपुर	193965	86003	44.33
9.	ऐका	202461	91719	45.30

स्त्रोतः—विकास भवन सिविल लाइन फिरोजाबाद

शोध प्रचना

प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु उ. प्र. के फिरोजाबाद जनपद का चयन किया गया है। जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के नौ बाहुल्य ब्लॉक में से छः ब्लॉक **नारखी, फिरोजाबाद, टुंडला,, जसराना, शिकोहाबाद**, **हाथवंत** इत्यादि का अध्ययन किया जायेगा।

निदर्शन

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी द्वारा आनुभाविक प्रतिवेदन के अन्तर्गत दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग की 5 ब्लॉक की कुल जनसंख्या का 410 (14%) इकाइयों को चयनित किया जायेगा।

अध्ययन सयंत्र

प्रस्तुत शोध अंध्ययन में अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची इत्यादि अध्ययन सयंत्रों का प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में शोध प्रविधि रूप में ज्यामितिय प्रदर्शन तथा सारणीयन इत्यादि विधि का प्रयोग किया जायेगा।

तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोत में तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन तथा द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तकों, पत्रिकाओं शोध पत्र व इन्टरनेट आदि के माध्यम से किया जायेगा।

तथ्यों का वर्गीकरण, सरणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण–

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों को संकलित करने के पश्चात् उनके वर्गीकरण को सारणीय में विधि द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। तत्पश्चात् तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन करने के बाद उनका विश्लेषण किया जायेगा। अन्त में निष्कर्ष सामान्यीकरण द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

प्रस्तावित अध्ययन अध्याय

प्रथम अध्यायः– **प्रस्तावना**

अवधारणात्मक स्पष्टीकरण

शोध समस्या

अध्ययन का महत्व

साहित्य पुनर्वालोकना

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन की परिकल्पनायें

द्वितीय अध्यायः– **पद्धतिशास्त्र**

शोध प्ररचना

अध्ययन का क्षेत्र

निदर्शन

अध्ययन के सयंत्र

अध्ययन शोध प्रविधि

तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण

तृतीय अध्यायः– अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

चतुर्थ अध्यायः– अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में अधिकारों के प्रति उत्पन्न चेतना का अध्ययन करना।

पंचम अध्यायः– अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में आरक्षण द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आये परिवर्तनों का अध्ययन करना।

षष्ठ अध्यायः– अन्य पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण की भूमिका का अध्ययन करना।

सप्तम अध्यायः– अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

अष्टम अध्यायः– परिणाम एवं सुझाव

निष्कर्ष

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ

- ठाकुर, बिमला. (1991), "कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण", दिल्ली : दया पब्लिकेशिंग हाउस।
- बेत्ये, आन्द्रे .(1992),''द बैकवर्ड क्लासेज इन कम्टेम्परेरी इण्डिया'', दिल्ली : आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस।
- सिंह, श्यामा नन्द .(1996),''रिजर्वेशन पालिसी फार बैकवर्ड क्लासेज'', जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स।
- प्रसाद, अनिरूद्ध. (1997),''रिजर्वेशन जस्टिस टु अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसीज थियोरीटीकल एण्ड परैक्टीकल इश्यू'', नई दिल्ली : दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स।
- गुप्त,विरव प्रकाश एंव गुप्त , मोहिनी .(1997),'' भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति औंर विचार'', नई दिल्ली : राधा पब्लिकेसन्स।
- मिश्र, भारत .(1998),'' भारत के सपूत '', नई दिल्ली : नमन प्रकाशन।
- गुप्ता, राजेश कुमार (2000),''भारत में आरक्षण नीति'', दिल्ली : मानक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
- धर्मकीर्ति, (2002),''बुद्धकालीन वर्ण व्यवस्था और जाति'' ,दिल्लीः परममिश्र प्रकाशन ।
- सिंह,एस.के एवं. सिंह ए.के.(2004),''स्टेटस एण्ड एजूकेशनल इम्पावरमेन्ट'', लखनऊः न्यू रायल बुक कोपरेसन।
- वर्मा,एच .एस.(2004),''द ओबीसीज एण्ड द रूलिंग क्लासेज इन इण्डिया'', नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन्स।
- सिंह,एस.के एवं सिंह ए.के. (2004),''ओबीसी वुमेन,'' लखनऊ : न्यू रायल बुक कम्पनी।
- वर्मा एच.एस.(2005),''द ओबीसीज एण्ड द रूलिगं क्लासेज'',न्यू दिल्ली :रावत पब्लिकेशन्स।

- गोगी, तरोइलुक्या. (2005),''रिजर्वेशन पॉलिसी एण्ड ओबीसी मूवमैन्ट इन आसाम'', कोलकता : अशाह पाब्लिकेन्स हाउस।
- शर्मा. ज्योसभा.(2006),'' बैकवर्ड कास्ट पालिटीज'', न्यू दिल्लीः सत्यम पाब्लिशिगं हाउस।
- पसरिचा,सीमा.(2006),''कास्ट वेस्ड रिजर्वेशन इन इण्डिया'', न्यू दिल्लीः दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड।
- शर्मा, रधुनन्दन. (2006),''सामाजिक समरता एवं वर्ण व्यवस्था'', भोपालः कापी राइट पब्लिकेशन्स।
- यदुलाल, कुसुम. (2006), ''दलित शिक्षा का परिदृश्य'', दिल्लीः कल्पज पब्लिकेशन।
- चालम, के.एस. (2007), ''कास्ट वेस्ड रिजर्वेशन्स एण्ड हुमन डवलपमैन्ट इन इण्डिया'', इण्डियाः सेज पब्लिशन्स।
- शर्मा ,जे. एन. (2007),'' क्या है ओबीसी '', नई दिल्ली : सिद्धार्थ बुक्स पब्लिकेशन्स।
- शर्मा,के.एल.(2007),''इण्डियन सोशल स्ट्रक्चर एण्ड चेन्ज,'' जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स।
- राना, मुलचन्द्र सवाजी भाई, (2008), ''रिजर्वेशन्स इण्डिया'' नई दिल्लीः कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।
- शर्मा ,रामविलास.(2008),'' गॉधी , अम्बेडकर , लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याऐं'', नई दिल्ली :सिद्धार्थ बुक्स पब्लिकेशसन्स।
- मलिक,सुरेन्दर एंव मलिक,सुदीप.(2008),''सुप्रीम कोर्ट ऑन ओबीसी रिजर्वेशन'', लखनऊः इस्टर्न बुक कम्पनी।
- रामोत्रा, कृष्णचन्द्र.(2008),''डवलपमेन्ट प्रोसेज एण्ड द शिड्यूल्ड कास्ट'', न्यू दिल्लीः रावत पब्लिकेशन्स।
- अम्बेडकर, एस.एन. (2008),''रिजर्वेशन पॉलिसीः इश्यू एण्ड इम्पलीकेशन'', जयपुरः ए.बी.डी. पब्लिर्शस।

- शाह, धनश्याम. (2009), ''भारत में सामाजिक आन्दोलन'' जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स।
- साधे ,निरन्जन . (2009), ''रिजर्वेशन पालिसी एण्ड इट्स इम्पलीमेन्टेशन एक्रोस डोमैन्स इन इण्डिया'' : एन एनालिटीकल रिव्यू '', नई दिल्ली : अकैडिमिक फाउनडेन्सन।
- कुमार ,विजय. (2011), ''स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन इण्डिया'', नई दिल्ली : अल्फ पब्लिकेशन्स ।
- जंगीर ,सुनील कुमार. (2013),''रिजर्वेशन पॅालिसी एण्ड इण्डियन कोन्सटीट्यूशन इन इण्डिया'', *अमेरिका इंन्टरनेशनल जरनल ऑफ रिसर्च इन हुमननिस्टस* ,3(1),p–12.6–128
- अरूण. (2014), ''भारत की प्रमुख जातियों का कोश'', नई दिल्ली : विश्वभारती पब्लिेशन्स।
- देवनाथ, पुलक चन्द एवं विश्वास , एन.बी.(2015)'' अदर बैकवर्ड क्लासेज इन इण्डिया'' ,न्यू दिल्ली :कल्पाज पाब्लिकेशन्स।
- पाल, सुशान्त एवं बरमन समपा. (2015), ''रिजर्वेशन पॅालिसी फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन एजूकेशन इन द कान्टेक्स ऑफ मार्डन इण्डियन हिस्टरी'', *इन्टरनेशनल जरनल ऑफ लॉ, एजूकेशनल सोशल एण्ड स्पोट्स स्टडीज* 2 (3)P-1-4.
- निर्म्बटे, जी.एन.(2015),''द सोशल स्कीमस एण्ड बैकवर्ड कम्यूनीकेशन इन महाराष्ट्र,''*इन्टरनेशनल जरनल ऑफ हुमनिस्ट एण्ड सोशल साइन्स इनवेशन,* 4(10),p–62–64.
- खान, शिमरान .(2015),'' भारत में दलित आन्दोलन'', नई दिल्लीः आर्या पब्लिकेशन्स।
- श्यामलाल (2015), ''अम्बेडकर और दलित आन्दोलन'', कोलकाता : रावत पब्लिकेशन्स।
- माइकल, एस.एम, (2015), ''आधुनिक भारत में दलित'', नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स।
- श्री निवास, एम.एन. (2016), ''आधुनिक भारत में जाति", नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।
- फूले, ज्योतिबा गोविन्द राव. (2017), ''गुलामगिरी'', नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन।
- सिंह,आलोक कुमार(2017),''आरक्षणः समीक्षा की आवश्यकता'', *इण्टर नेशनल जनरल ऑफ एडवान्सड एजूकेशन रिसर्च.* 2(3)

- http://vikaspedia.in/social-welfare/backward-classes-1/backward-classes-
- https://www.ideasforindia.in/topics/social-identity/how-backward-are-other-backward-classes-in-india.html
- https://www.jagran.com/haryana/fatehabad-9436938.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Other_Backward_Class